

24/6/24

पत्रावली पेच हुई। वकील डिफेंडर उप
 प्रकार में तहसीलदार कोर्ट से पालना रिफर
 प्राप्त जिसे शाह फारुखिदा बाद प्रमाण
 की पालना हो जाते है इस प्रकार
 के कोर्ट कोर्टे जायवली शेष नहीं
 रहते है पत्रावली की जायवली ली
 हर पा सहाय की जागी है। पत्रावली
 के लय शुभम होकर उज नमका ल
 व.न. ली।



उपखण्ड अधिकारी पदेन
 सहायक कलेक्टर करेडा